भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2292

12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

पश्चिम बंगाल में 'अमृत' योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं

†2292. डॉ. जयंत कुमार रायः
श्री सौमित्र खानः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी 2025 से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के अंतर्गत देशभर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विशेषकर पश्चिम बंगाल में उन शहरों की संख्या कितनी है जिनमें जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं को शुरू किया गया है; और
(ख) क्या किसी परियोजना में देश भर में तकनीकी या वित्तीय बाधाओं के कारण विलंब हुआ है और यदि हां, तो विशेषकर पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू किया गया, जिससे शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाया जा सके। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता-निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार है।

देश भर के 2,484 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा अब तक 1,19,636.49 करोड़ रु. की 3,528 जल आपूर्ति परियोजनाओं को राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) के तहत अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित परियोजनाओं में प्रतिदिन 11,393 मिलियन लीटर (एमएलडी) की

(नई/संवर्धित) जल शोधन क्षमता का विकास, 178 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन और 1.26 लाख किलोमीटर की (नयी और प्रतिस्थापित) पाइपलाइन बिछाना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, इस मिशन के तहत, 255 अमृत शहरों में अब तक 66,117.69 करोड़ रु. की 583 सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाओं वाली एसडब्ल्यूएपी (राज्य जल कार्य योजनाएँ) अनुमोदित की गई हैं। अनुमोदित परियोजनाओं में 6,649 एमएलडी की (नई/संवर्धित) सीवेज शोधन क्षमता शामिल है, जिसमें से 1,931 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए है, साथ ही 65 लाख घरेलू सीवर कनेक्शन और 34,548 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाना शामिल है।

राज्यों द्वारा अमृत 2.0 पोर्टल पर अद्यतन की गई जानकारी के अनुसार, अब तक कुल 79,764.95 करोड़ रु. की 2,933 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 41,695.49 करोड़ रु. की 443 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं के ठेके दिये जा चुके हैं। जनवरी 2025 से अमृत 2.0 के तहत राज्यों द्वारा जिन जल आपूर्ति और सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं के ठेके दिए गए हैं उन परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, अनुलग्नक में दिया गया है।

अमृत 2.0 के तहत, परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता राज्यों द्वारा एसएनए-स्पर्श के माध्यम से दावों की प्रस्तुति के आधार पर वास्तविक समय में प्रदान की जाती है। राज्यों को मूल स्वीकृतियों के माध्यम से निधियाँ जारी की जाती है।

अमृत 2.0 के तहत शुरू की गई परियोजनाएं बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं, जिनमें लंबा समय लगता है। राज्यों द्वारा समय-समय पर दी गई जानकारी के अनुसार, परियोजनाओं में कुछ विलंब, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उनके अनुमोदन में देरी, वैधानिक स्वीकृतियों में देरी, भूमि संबंधी मुद्दों आदि के कारण होता है।

पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में 122.29 करोड़ रुपये की 15 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें 117.94 करोड़ रुपये की 8 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 3.15 करोड़ रुपये की 4 जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाएं और 1.2 करोड़ रुपये की 3 हरित क्षेत्र एवं पार्क परियोजनाएं शामिल हैं। 80.58 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं के लिए ठेके दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अमृत 2.0 के तहत किसी भी परियोजना में तकनीकी या वित्तीय बाधाओं के कारण देरी नहीं हुई है।

"पश्चिम बंगाल में 'अमृत' योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं" के संबंध में दिनाँक 12.02.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2292 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

जनवरी 2025 से राज्यों द्वारा अमृत 2.0 के तहत जिन जल आपूर्ति और सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं के ठेके दिए गए हैं उन परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या का विवरण।

क्र. सं.	राज्य	जल आपूर्ति			सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन		
		परियोजनाओं की संख्या	शहर	दिए गए ठेकों की लागत (करोड़ में)	परियोजनाओं की सं.	शहर	दिए गए ठेकों की लागत (करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43	1	21.66			
2	आंध्र प्रदेश	3	3	17.96			
3	अरुणाचल प्रदेश	7	6	169.27			
4	असम	3	2	149.23	2	2	66.42
5	बिहार	3	3	357.24			
6	छत्तीसगढ़	6	6	442.68	5	5	625.37
7	दिल्ली	1	1	10.88	6	1	206.58
8	गुजरात	54	33	891.25	28	10	824.69
9	हरियाणा	9	9	111.72	6	5	267.77
10	हिमाचल प्रदेश	11	11	83.10			
11	जम्मू और कश्मीर	47	31	256.34	3	2	330.44
12	झारखंड	7	7	654.98			
13	कर्नाटक	44	41	1533.03			
14	केरल	83	47	527.30	19	3	231.14
15	मध्य प्रदेश	71	71	3139.60	16	16	3485.80

16	महाराष्ट्र	17	16	1932.98	10	7	3497.66
17	मणिपुर	6	6	88.65			
18	नागालैंड	23	23	97.00			
19	ओडिशा	86	36	1195.52			
20	पुदुचेरी				1	1	33.05
21	पंजाब	99	99	1022.62	4	4	188.99
22	राजस्थान	104	104	1244.51			
23	तमिलनाडु				2	2	602.82
24	तेलंगाना				3	1	3975.34
25	त्रिपुरा	4	4	7.77			
26	उत्तर प्रदेश	73	68	2961.75	5	5	947
27	उत्तराखंड	9	9	144.96			
28	पश्चिम बंगाल	95	80	3125.76			
कुल योग		908	717	20187.75	110	64	15283.07